

राजस्थान – सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए, राजस्थान जयपुर
कमांक/नर्सिंग/नर्स-प्रथम/यू-45/25628/2025/56 दिनांक 20/2/2025

आदेश

श्रीमती उषा गोयल, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा को उनकी घरेलु परिस्थितियों को मध्य रखते हुए उनके द्वारा आवेदित अवकाश राजस्थान सेवा नियम के नियम 96 में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 10.10.2022 से 27.01.2023 तक 109 दिवस असाधारण अवकाश
2. दिनांक 29.01.2023 से 29.03.2023 तक 60 दिवस असाधारण अवकाश
3. दिनांक 02.04.2023 से 17.07.2023 तक 107 दिवस असाधारण अवकाश
4. दिनांक 20.07.2023 से 15.11.2023 तक 119 दिवस असाधारण अवकाश
5. दिनांक 18.11.2023 से 19.01.2024 तक 63 दिवस असाधारण अवकाश

कुल दिवस 458

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए
राजस्थान जयपुर।

कमांक/नर्सिंग/नर्स-प्रथम/यू-45/25628/2025/56 दिनांक 20/2/2025
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जोन भरतपुर।
3. अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा को उनके पत्रांक 379 दिनांक 23.09.2024 के क्रम में।
4. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :19-02-2025 01:53:51